न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: श्री दुर्गाप्रसाद मीना
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 222/2017

1. गिरधारी
2. बनवारी पुत्रान मांगू जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादीगण

बनाम

1. बीरबल
2. श्योपाल
3. तेजाराम
4. परसाराम
5. झाबर पुत्रान जमना
6. श्योपाली
7. बीमला पुत्रियां जमना जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
9. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्राथमिक—निर्णय

निर्णय दिनांक 29.01.2018

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि ख.न. 623/1.79, 634/1.08, 663/0.01, 664/0.92, 707/0.71, 708/1.18 किता 6 कुल रकबा 5.69 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी नं. 1 गिरधारी का 1/3 हिस्सा व वादी नं. 2 बनवारी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/63, 1/63 व प्रतिविादी नं. 6 व 7 का हिस्सा शामिल में 1/63 है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिये वाद घोषणार्थ का पेश है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी को काश्त करते हैं। वादग्रस्त आराजी का कभी भी विधिवंत रूप से तकसमा नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 की अविभाजित कृषि सम्पदा है। जब तक अविभाजित कृषि सम्पदा का विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार को निश्चित भू भाग पर कब्जा करने का अधिकार नही होता है और ना ही अविभाजित आराजी पर अन्य सहहिस्सेदारी के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार होता है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 आपस में मिलकर वादीगण को नुकसान पहूंचाने की नियत से वादग्रस्त आराजी पर जगह जगह निर्माण करके निश्चित भू भाग पर कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं जिसके लिये प्रतिवादीगण ने दिनांक 06.12.2017 को वादग्रस्त आराजी पर पत्थरों की ट्रोली डलवाई वादीगण की चने व गेहूं की फसल को नुकसान पहूंचाया। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को मना किया तो प्रतिवादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करके जगह जगह कब्जा करेंगे इसलिये वादीगण को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 नाजायज रूप से वादग्रस्त आराजी को जगह जगह पुख्ता निर्माण करके निश्चित भू भाग पर कब्जा करनें में सफल हो जायेंगे तो वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि के विभाजन में अनेक समस्यायें पैदा होगी और वादीगण को अपने हक अधिकारो की भूमि से महरूम होना पडेगा इसलिये प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है जिसके लिये उक्त वाद पेश है। अतः वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाकर ग्राम देवीपुरा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 623/1.79, 634/1.08, 663/0.01, 664/0.92, 707/0.71, 708/1.18 किता 6 कुल रकबा 5.69 है0 में वादी नं. 1 गिरधारी को 1/3

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

हिस्से का, वादी नं. 2 बनवारी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 के घोषित हिस्सानुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि का अलग से खाता कायम किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी पैदा नही करे व वादीगण के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार से कच्चा व पक्का निर्माण करके कब्जा नही करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 8 व 9 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 की और से श्री विप्पल पंडित का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 की और से जबाबदावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि वादी नं. 1, 2 व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 के पिता जमना तीन भाइ थे जिनके पिता का नाम मांगू था, जिनका संयुक्त परिवार था मांगू ने अपने जीवनकाल में ही तीनो भाइयों का आज से 35 साल पहले विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया अलग अलग सीमा कायम कर दी तब से वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगाय 3, 35 साल पूर्व किये गये बंटवारे के अनुसार काबिज है मकानात बनाकर आबाद है। वादीगण अपने 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार काबिज है, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 अपने 1/3 हिस्से अनुसार काबिज हैं। वादीगण ने दावा में हिस्से जिस प्रकार दर्ज किये हैं उसी अनुसार खातेदारी पहले से राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसलिये घोषणा करने व राजस्व रिकार्ड करने का कोई औचित्य नही है पहले से हिस्सेदारी भू अभिलेख मे घोषित है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7, 35 साल पूर्व मांगू द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार आज भी मौके पर काबिज है काश्त करत हैं तथा फसल लाटते हैं। इसलिये वादीगण के उक्त मद मे दर्ज कथन कि विभाजन नही हुआ अलग अलग स्थान पर निर्माण करने के कथन गलत दर्ज किये हैं। वादीगण के मन में बदनियति आ गई है जो 35 वर्ष पूर्व किये गये बंटवारे के अनुसार नही चल रहे हैं और गलत सलाह लेकर उक्त वाद पेश किया है। उतरदातागण ने वादीगण को ना तो कोई नुकशान पहूंचाया है ना ही कोई लडाई झगडा किया है तमाम कथन वादीगण की गलत मानसिकता का परिचायक है। उतरदाता हिस्से व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन के लिये सहमत हैं। वादी नं. 1, 2 के हिस्से का अलग अलग तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 के 1/3 हिस्से का शामिल में अलग खाता कायम किया जावे इस हेतु सहमत हैं। उतरदाता विभाजन के लिये सीमा रिकार्ड व नक्शा ट्रेस के अंकन के लिये लगान के लिये सहमत हैं इसलिये जहां विभाजन द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जाती है वहा स्थाई निषेधाज्ञा काननून जारी नही की जाती है इसलिये वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारीज होने योग्य है। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 के जबाबदावा में वाद के विभाजन में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद में मुख्य रिलिफ विभाजन में सहमति जाहिर करने पर तनकीयात कायम की जाना आवश्यक प्रतीत नही होने के कारण बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने में सहमति जाहिर की गई। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम देवीपुरा संवत 2068 से 2071 के अनुसार भूमि ख.न. 623/1.79, 634/1.08, 663/0.01, 664/0.92, 707/0.71, 708/1.18 किता 6 कुल रकबा 5.69 है0 की खातेदारी बीरबल श्योपाला तेजाराम परसाराम झाबर पि0 जमना भोली पत्नी जमना हि.ब.हि. 1/3 गिरधारी बनवारी पि0 मांगू हि0 2/3 गुजर सा.देह खातेदार राहिन बनवारी पुत्र मांगू धापू स्त्री मांगू हि0 1/2 गिरधारी पुत्र मांगू हि0 1/4 परसाराम झाबर पिता जमना भोली पत्नी जमना हि0 1/8 एस.बी.बी. जे.शाखा चिराना दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1144 नि.दि. 24.07.2013 रहनमुक्त धापू पत्नी मांगू हि0 1/4 रहमुक्त स्वीकार। नामा0सं0 1176 नि.दि. 23.12.13 रहनमुक्त झाबर पुत्र जमना भोलीदेवी पत्नी जमना हि0 1/9 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1190 नि.दि. 05.02.14 विरासत भोलीदेवी के फोत होने पर बीरबल श्योपाल तेजाराम झाबर पिता जमना हि0व0हि0 16/63 श्योपाली बिमला पुत्रियां जमना हि0 1/63 परसाराम पु0 जमना हि0 4/63 जाति गुजर सा0देह राहिन परसाराम हि0 1/18 एसबीबीजे चिराना स्वीकार शेष बदस्तूर नामा0 सं0 1207 नि. दि. 13.05.14 रहननामा राहिन झाबर पुत्र जमना हि0 4/63 एसबीबीजे चिराना मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर जमा0 दर्ज किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि अविभाजित होना स्पष्ट है जिसके संबंध में विभाजन चाहा गया है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

<u>आदेश</u>

वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 623/1.79, 634/1.08, 663/0.01, 664/0.92, 707/0.71, 708/1.18 किता 6 कुल रकबा 5.69 है0 में वादीगण नं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 शामिल में 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की मौजूदगी में युक्तियुक्त रास्ते को मध्य नजर रखते हुये मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण या बाधा पैदा नही करे। रहनशुदा भूमि का संबंधित खातेदार के हिस्से में नोट अंकित किया जावे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.02.2018 को पेश हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

प्राथमिक(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास
दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– **222/2017 (गिरधारी आदि बनाम बीरबल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.01.2018 निर्णय अनुसार वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 623/1.79, 634/1.08, 663/0.01, 664/0.92, 707/0.71, 708/1.18 किता 6 कुल रकबा 5.69 है0 में वादीगण नं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 शामिल में 1/ 3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की मौजूदगी में युक्तियुक्त रास्ते को मध्य नजर रखते हुये मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण या बाधां पैदा नही करे। रहनशुदा भूमि का संबंधित खातेदार के हिस्से में नोट अंकित किया जावे।

जिन.................. मुकदमा.........–............बावत......–..................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–..............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बदस्तखत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज तारीख. 29 माह 01 सन 2018 को जारी की गई।

31/1/18

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प बजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	0.00
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	

Scanned by CamScanner